राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2280/2025

अजय प्रकाश सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 17.04.2024 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजिबद्ध अपराध में प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर अपीलार्थी को दिनांक 09.02.2024 को गिरफ्तार किया गया था और अपीलार्थी को 48 घंटे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। अतः अपीलार्थी को इस आधार पर निलम्बित किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को निलम्बित किये हुए करीब एक वर्ष का समय हो चुका है। निलम्बन आदेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा निलम्बन से बहाल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 19.11.2024 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन

प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किये जाने पर विचार नहीं किये जाने से अपीलार्थी के अधिकारों का हनन होता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को अनिश्चितकाल तक निलम्बित रखा जाना उचित नहीं है और अपीलार्थी का निलम्बन जारी रखने से पूर्व अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया जाना आवश्यक था। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 1788/2024 नरेश सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 में यह माना है कि अत्यधिक समय तक बहाली के संबंध में विचार किये बिना कार्मिक को निलम्बित रखा जाना उचित नहीं है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का निलम्बन लम्बे समय तक जारी रखने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। अपीलार्थी का कथन रहा है कि अपीलार्थी को बहाल करने के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को बहाल किये जाने के लिये उचित आधार प्रकट करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)